न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवम् पदेन सहायक कलक्टर पीलीबंगा

पीठासीन अधिकारी :– अमिता बिश्नोई आर.ए.एस.

प्रार्थना पत्र संख्या :–80/2018

हरजिन्द्र कौर धर्मपत्नि स्व० श्री हरबन्स सिहं उर्फ भोला सिहं, आयु–40 वर्ष, जाति जटसिख, निवासी अमरसिहंवाला, तहसील पीलीबंगा, जिला हनुमानगढ़

––प्रार्थीया–

बनाम

1. संदीप सिहं पुत्र स्व0 श्री हरबन्स सिहं उर्फ भोला सिहं, आयु–23 वर्ष, जाति जटसिख, निवासी अमरसिहंवाला, तहसील पीलीबंगा, जिला हनुमानगढ
2. तहसीलदार (राजस्व) पीलीबंगा, तहसील पीलीबंगा, जिला हनुमानगढ़

––अप्रार्थीगण–

अप्रार्थीगण

–:: प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 212 रा.का.अधि. बाबत अस्थाई निषेधाज्ञा ::–

–:: उपस्थित अभिभाषकगण ::–

1. श्री मदन लाल परीक — प्रार्थी
2. राजपैरोकार जरिये तहसीलदार (राजस्व) पीलीबंगा। — अप्रार्थी सं. 2

–:: निर्णय :–

दिनांकः– 06-09-24

प्रार्थिया द्वारा प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 212 आरटीए अधिवक्ता श्री मदन लाल पारीक द्वारा अप्रार्थीगण के विरूद्ध प्रस्तुत किया गया है कि प्रार्थीया ने उक्त शीर्षक का वादपत्र माननीय न्यायालय में प्रस्तुत कर दिया है जिसमें प्रार्थीया को कामयाबी की पूर्ण आशा है।

अप्रार्थी संख्या–1 प्रार्थीया का पुत्र है। प्रार्थीया एवं अप्रार्थी संख्या–1 की संयुक्त खातेदारी कृषि भूमि तहसील पीलीबंगा के चक 39 एलएलडब्ल्यू खाता संख्या–86/4 सम्वत 2074–2077 में निम्नलिखित विवरण की खातेदारी भूमि थी चक नम्बर 39 एलएलडब्ल्यू पत्थर नम्बर 1/241 (51) किला नम्बर 16 से 19, 20/2 में .228, 21/1 में 0.012 कुल तदादी 1. 252 है0।

प्रार्थीया व अप्रार्थी संख्या–1 की बहिस्सा बराबर 1/2 हिस्सा व प्रतिवादी संख्या–2 की 1/2 हिस्सा की संयुक्त खातेदारी कृषि भूमि तहसील पीलीबंगा के चक 39 एलएलडब्ल्यू खाता संख्या–64/4 सम्वत 2074–2077 में निम्नलिखित विवरण की खातेदारी भूमि थी– चक नम्बर 39 एलएलडब्ल्यू प0न0 1/241 (51) किला नम्बर 10/3 में 0.085, 11/1 में तादादी 0.013, 20/3 0.012, 21/2 में 0.002 कुल 0.112 है0

प्रार्थीया विधवा औरत है तथा अप्रार्थी संख्या–[illegible] असामाजिक तत्वों के साथ है तथा वह नशीली दवाईयों का सेवन करता है व अपनी [illegible] की पूर्ति के लिये प्रार्थीया से मारपीट करता है। अप्रार्थी संख्या–1 [illegible] व विधि विरूद्ध उद्देश्यों के लिये व प्रार्थीया के विधवा व असहाय होने का अनुचित [illegible]दा उठाते हुये वादपत्र [illegible] संख्या–2 व 3 में वर्णित भूमि से प्रार्थीया को बेदखल करने की धमकी दे रहा है। अप्रार्थी संख्या–1 नशीली दवाईयों के सेवन के कारण प्रार्थीया को न तो उक्त भूमि में काश्त में सहयोग देता है व ना ही प्रार्थीया के भरण–पोषण की उसे चिन्ता है। प्रार्थीया औरतजात व विधवा होने के कारण उक्त वर्णित भूमि ठेका पर काश्त करवाती है तथा ठेका राशि से उसका

Signature Not Verified
Digitally signed by Amita Bishnoi
Date: 2024.09.10 17:44:38 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर एव
उपखण्ड अधिकारी पीलीबंगा

भरण–पोषण हो रहा है। अप्रार्थी संख्या–1 ने प्रार्थीया के ठेकेदार से छुपे तौर पर इस वर्ष की ठेका राशि भी हड़प ली है तथा इस कारण प्रार्थीया दाने–दाने के लिये मोहताज है। अप्रार्थी संख्या–1 बिना किसी वैद्य आवश्यकता के प्रश्नगत भूमि को बैय व मुन्तकिल करने की धमकी दे रहा है तथा अप्रार्थी संख्या–1 नशीली दवाईयों के सेवन का इस हद तक आदी हो चुका है कि उसका मानसिक सन्तुलन भी सही नहीं है तथा उसे अच्छे–बुरे की कोई सुध भी नहीं है। अप्रार्थी संख्या–1 की नशे की आदतों का नाजायज फायदा उठाते हुये भू–माफिया गिरोह के लोगों ने उसे अपने चंगुल में फसा रखा है तथा प्रश्नगत भूमि को ओने पोने दामों में उससे हड़प करने की फिराक में हैं। अप्रार्थी संख्या–1 का इस बुरी लतों का शिकार होने से अभी तक कोई रिश्ता भी नहीं हो सका है तथा वह कुंवारा है। प्रार्थीया ही उसका भला–बुरा सोचने वाली एवं उसके हितों की रक्षा करने वाली एक मात्र माता है। अप्रार्थी संख्या – 1 अपने विधि विरूद्व उद्देश्यों की पूर्ति के लिये प्रश्नगत भूमि को खुर्द–बुर्द करने पर तुला हुआ है। अप्रार्थी संख्या–1 को उक्त संयुक्त खाता की भूमि को विधिवत विभाजन करवाये बिना विक्रय करने का अधिकार नहीं हैं लेकिन वह गत एक सप्ताह से उक्त वर्णित भूमि को भू–माफिया गिरोह के बहकावे में आकर व अपनी बुरी लतों की तुष्टि के लिये उनके असम्यक प्रभाव में आकर बैय व मुन्तकिल करने की फिराक में है तथा धमकी दे रहा है कि वह उक्त भूमि को खुर्द–बुर्द कर प्रार्थीया को बेदखल कर देगा। अप्रार्थी संख्या–1 का यह कृत्य कतई गलत व विधि विरूद्व है तथा यदि अप्रार्थी संख्या–1 अपने इस गलत व विधि विरूद्व मकसद में कामयाब हो जाता है तो प्रार्थीया को अपरिमेय क्षति होगी। इन हालात में प्रार्थीया अप्रार्थी संख्या–1 के विरूद्व इस आशय की अस्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त करने की अधिकारिणी है कि वह प्रश्नगत भूमि के किसी भी भू–भाग को रहन बैय व मुन्तकिल नहीं करें। प्रथम दृष्टया मामला व सुविधा का सन्तुलन प्रार्थीया के पक्ष में है । अतः प्रार्थना–पत्र मय शपथ–पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि अप्रार्थी संख्या–1 के विरूद्व इस आशय की अस्थाई निषेधाज्ञा जारी फरमाई जावे कि वह चक 39 लएलडब्ल्यू तहसील पीलीबंगा के खाता संख्या–86/4 सम्वत 2074–2077 तादादी 1.252 क्टेयर व खाता संख्या–64/4 सम्वत 2074–2077 तादादी 0.112 हैक्टेयर भूमि को खाता विभाजन की अंतिम डिक्री पारित होने से पूर्व किसी भी भू–भाग को अन्य व्यक्तियों को रहन बैय व मुन्तकिल करने से निषिद्ध रहें। अप्रार्थी सं. 1 की तलबी प्राप्त होने पर हाजिर नहीं होने पर एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई है। स्टेट जवाब हेतु अनेक अवसर दिये जाने पर भी प्राप्त नहीं होने पर पत्रावली में स्टेट जवाब बंद किया जा चुका है।

–:आदेश:–

पत्रावली में उभय पक्ष अधिवक्ता बहस सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन किया गया प्रकरण 7 वर्ष से लम्बित है हकों का निर्धारण मूल वाद में तय होना है हकों के संबंध में उभय पक्ष द्वारा मूल वाद में प्रभावी पैरवी की जा सकती है। दिनांक 24.09.2018 को जारी स्थगन आदेश ताफैसला दावा अस्थाई निषेधाज्ञा अनवरत् किए जाने से किसी पक्ष को नुकसान नहीं है। बल्कि उभय पक्षों के मध्य आगे विवाद नहीं बढ़ने में सहायक ही है। अतः उपरोक्त विवेचन स्वरूप दिनांक 24.09.2018 को जारी स्थगन आदेश ताफैसला दावा कन्फर्म किया जाता है।

आदेश सरे ईजलास सुनाया गया। पत्रावली नियम का पालन कर बाद तरतीब तकमील जाब्ता दाखिल दफतर हो।

Signature Not Verified
Digitally signed by Amita Bishnoi
Date: 2024.09.10 17:44:38 IST
Reason: SelfAttested

(अमिता बिश्नोई आर.ए.एस.)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी पीलीबंगा
पदेन सहायक कलक्टर
पीलीबंगा